



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- श्रीगंगानगर में राजकुमार सुरक्षा गार्ड ग्राम पंचायत 90 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ़ 5,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 20 फरवरी गुरुवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी श्रीगंगानगर-द्वितीय द्वारा आज कार्यवाही करते हुए श्री राजकुमार सुरक्षा गार्ड ग्राम पंचायत 90 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से उसकी पत्नी के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जारी करवाने की एवज में 5,000/- रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी श्रीगंगानगर-द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी की पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास की पहली किश्त जारी करने की एवज में श्री राजकुमार सुरक्षा गार्ड ग्राम विकास अधिकारी व एलडीसी ग्राम पंचायत 90 जीबी के लिए 6000/- रूपये की रिश्वत मांग कर रहा है।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी श्रीगंगानगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में उप अधीक्षक पुलिस श्री वेदप्रकाश लखोटिया द्वारा मय टीम के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री राजकुमार सुरक्षा गार्ड ग्राम पंचायत 90 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से उसकी पत्नी के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जारी करवाने की एवज में 5,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।